

प्रपत्र-ई० 2

नामांकन पत्र

(प्रत्येक वर्ग से पदवार अलग-अलग)

हाल का डाक टिकट
आकार का अध्यर्थी द्वारा
स्वअभिप्राणित
फोटोग्राफ़

1.	पद का नाम, जिस पर निर्वाचित होना चाहते हों। *	
2.	समिति का पूरा निर्बंधित नाम, जिससे पद संबंधित है।	
3.	अध्यर्थी का (i) मतदाता सूची में क्रमांक (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) (iii) लिंग - महिला/ पुरुष/ अन्य (iv) मोबाइल नं. एवं आधार नं. (v) ई-मेल (यदि हो) (vi) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम	
4.	(i) पिता का नाम (पुरुष एवं अविवाहित स्त्री अध्यर्थी की स्थिति में)। (ii) पति का नाम (विवाहित स्त्री अध्यर्थी की स्थिति में)।	
5.	प्रस्तावक का (i) मतदाता सूची में क्रमांक (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) (iii) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम (iv) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	
6.	समर्थक का (i) मतदाता सूची में क्रमांक (ii) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है) (iii) क्या वह किसी संबद्ध सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का प्रतिनिधि है, यदि हाँ तो उस सोसाईटी/ निकाय या प्राधिकारी का नाम (iv) हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान	

अध्यर्थी की घोषणा

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं निर्वाचन लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मैं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935, बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 तथा समिति की उपविधि (अथवा बिहार स्वाबलंबी सहकारी अधिनियम, 1996 एवं समिति की उपविधि) के अनुसार उपर्युक्त पद के लिए, जिसका मैं अध्यर्थी हूँ, निर्वाचन लड़ने के योग्य हूँ।

तिथि-

अध्यर्थी का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

(निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

क्रमांक.....

यह नामांकन पत्र मुझे मेरे कार्यालय (स्थान का नाम).....में दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अध्यर्थी द्वारा दिया गया।

तिथि-

निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान -

का हस्ताक्षर

संवीक्षा का प्रमाण-पत्र

मैंने अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की अर्हता का परीक्षण कर लिया है और मैं पाता हूँ कि वे क्रमशः
निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने तथा उसे प्रस्तावित एवं समर्थन करने योग्य हैं।

स्थान :

तिथि :

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

.....छिद्रण.....

नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना
(नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिये जाने के लिये)

नामांकन पत्र का अनुक्रमांक :

श्री/सुश्री/श्रीमती....., जो (समिति का नाम) के प्रबंध
समिति के पद के निर्वाचन के लिये एक अभ्यर्थी है, का नामांकन पत्र मुझे दिनांक.....को.....
बजे पूर्वाह्न/ अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदृष्ट किया गया। इस नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक.....
को..... बजे पूर्वाह्न/ अपराह्नमें की जायेगी।

(स्थान का नाम)

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कृपया ध्यान दें तथा नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात अवश्य संलग्न करें

- (i) नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-ग में मतदाता होने की घोषणा ।
- (ii) मतदाता सूची में अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति।
- (iii) विहित प्रपत्र-क एवं एनेक्सचर में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि अथवा किसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों, परिसम्पत्तियों, शैक्षणिक योग्यता आदि एवं संगत सहकारिता अधिनियम/नियमावली में उल्लिखित अयोग्यता के अधीन नहीं होने के संबंध में सशपथ विवरण।
- (iv) आरक्षित पदों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II) / अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) का जाति प्रमाण पत्र।
- (v) *(क) प्रोफेशनल डायरेक्टरों के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- *(ख) किसी निर्बंधित सरकारी संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान में (बार काउंसिंग सहित) कम-से-कम पाँच साल के कार्य अनुभव को प्रदर्शित करता कर्मी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- *(ग) स्व-नियोजित प्रोफेशनल के मामले में इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स, आईसीडब्ल्यूए, बार एसोसिएशन जैसे प्रोफेशनल निकायों की चालू सदस्यता एवं इनरौलमेन्ट संबंधी सबूत या ऐसे अन्य समरूप सबूत से संबंधित अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परिपत्र की भावना के अनुरूप सत्य हों।
- (vi) “प्रपत्र-ख” में बायोडाटा से संबंधित सूचनाएँ।
- (vii) नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों से नामांकन शुल्क के रूप में निर्धारित नामांकन शुल्क की रसीद की मूल प्रति । यदि दो सेट में नामांकन दिया जा रहा हो तो दूसरे सेट के साथ रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (viii) प्रपत्र ‘घ’ अनुसूची-1 की चेकलिस्ट से भी मिलान कर लें।

* सिर्फ सहकारी बैंक के निर्वाचन में लागू।

प्रपत्र-क

(शपथ-पत्र एवं एनेक्सर जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

शपथ-पत्र

मैं,.....पिता/पति.....उम्र.....वर्ष,
मोहल्ला.....पोस्ट.....थाना.....जिला....., बिहार का
निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मैं अपना नामांकन पत्र (समिति का नाम) केपद के
निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/ रही हूँ;

कि मैं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935/ बिहार स्वाबलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996
में अभ्यर्थी के लिए विहित योग्यता/ अयोग्यता के उपबंधों से पूर्णतः अवगत हूँ।

कि मैं संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के अधीन समिति के किसी पद के लिए निर्वाचन हेतु
अनर्हित नहीं हूँ;

कि मैं (समिति का नाम) की उपविधियों के प्रावधानों के अधीन प्रबन्ध
समिति के किसी पद के लिए निर्वाचन हेतु अनर्हित नहीं हूँ;

कि संलग्न एनेक्सर में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और
सत्य हैं।

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर.....
पता.....

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर.....
पता

स्थान :

दिनांक :

जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट:-कार्यपालक दण्डाधिकारी/ नोटरी पब्लिक/ ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ लिया जायेगा।

प्रपत्र-क का एनेक्सचर (पृष्ठ-1)

..... जिला के(समिति का नाम) के अध्यक्ष/ प्रबन्ध समिति के सदस्य पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम : पिता/पति का नाम :

1. (क) क्या आप किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित किये गये हैं * यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें :- (i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये (ii) दंडित किये जाने की तिथि (iii) किये गये अपराध की प्रकृति-(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित) (iv) दिया गया दण्ड (v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो (vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि 1. (ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं ? (i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- (ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया (iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लम्बित है (iv) यदि निष्पादित है, तो (क) निष्पादन की तिथि- (ख) पारित आदेश का सूक्षित विवरण- (v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया (vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि-	
2. क्या आपके विरुद्ध किसी मामले में संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें * (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/संज्ञान लिया गया है	
(ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है	
(iii) अपराध संख्या	
(iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक	
(v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील(अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण	
2.(i). क्या बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 की निम्नलिखित अयोग्यताओं के अधीन है:- 23(1) (क) वह सोसायटी का सदस्य न हो, अथवा (ख) वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा (ग) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त सर्विदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पत्ति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा (घ) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा (ड) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा (च) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दर्ढक कार्यवाही लंबित हो, किसमें संज्ञान ले लिया गया है।	
23 (2) (क) संबद्ध सोसायटी/ व्यक्ति सदस्य नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिये गये किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उप विधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी भी	

<p>हालत में तीन माह से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी का व्यतिक्रमी हो या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसायटी का व्यतिक्रमी भी हो या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसायटी का व्यतिक्रमी हो, अथवा</p> <p>(ख) उसे सोसायटी में किये गये किसी निवेश अथवा उससे लिये गये किसी ऋण को छोड़कर सोसायटी के साथ किये गये किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या सोसायटी द्वारा बेची गयी या खरीदी गयी किसी सम्पत्ति में अथवा सोसायटी में किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, अथवा</p> <p>(ग) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्यवाही लंबित हो, अथवा</p> <p>(घ) उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसायटी, जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वह उम्मीदवार हो, के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच-पड़ताल लंबित हो, अथवा</p> <p>(ङ.) उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दाँड़क कार्यवाही लंबित हो, जिसमें संज्ञान ले लिया गया है।</p>	
2 (ii). क्या डेलीगेट राज्य सहकारी बैंक की उपविधियों के नियम 65 में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन है?	
2 (iii). अगर (i) एवं (ii) का उत्तर हाँ में है, तो कर्डिकावार स्पष्ट उल्लेख करें	

* यदि एक से अधिक मामलों में दण्डित किये गये हो अथवा संज्ञान लिया गया हो, तो अलग कागज में उक्त प्रपत्र के अनुसार तत्संबंधी विवरण अंकित किया जायेगा।

3. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है :-

(क) अचल सम्पत्ति

क्रमांक	विवरणी	कृषि भूमि	शहरी भूमि	भवन
1	अपनी	मौजा एवं थाना नंबर		
		अंचल		
		रकबा		
2	पति / पत्नी	मौजा एवं थाना नंबर		
		अंचल		
		रकबा		
3	आश्रित	मौजा एवं थाना नंबर		
		अंचल		
		रकबा		
	कुल जमीन का अनुमानित मूल्य (रूपये में)			

(ख) चल सम्पत्ति (रूपये में)

क्रमांक	विवरणी	वर्तमान कीमत (रूपये में)
1	नकद	
2	बैंक बैलेन्स	
3	फिक्स डिपोजिट	
4	बॉण्ड	
5	शेयर	
6	वाहन का मॉडल, वर्ष एवं मूल्य	
7.	आभूषणों का मूल्य	
	कुल	
4.	अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं (वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेत्ता टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया)	1. 2. 3.

प्रपत्र-क का एनेक्सचर

5. शैक्षणिक योग्यता का विवरण।

क्रमांक	परीक्षा उर्तीण	स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	उर्तीणता वर्ष	अभ्युक्ति
1				
2				
3				
4				
5				

स्थान :

तिथि :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नोट:- सभी स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ “शून्य” अवश्य अंकित किया जाय। स्तम्भ खाली छोड़ देने अथवा (x) चिन्ह अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।

प्रपत्र-ख
अभ्यर्थी का बायोडाटा
(नामांकन पत्र के साथ दिया जाएगा)

अभ्यर्थी का हाल
 का खींचा हुआ
 डाक टिकट अथवा
 पासपोर्ट साईज का
 स्वअभिप्रमाणित
 फोटो

जिला :

प्रखंड :

1	अभ्यर्थी का नाम		
2	पिता/पति का नाम		
3	पता		
4	दूरभाष संख्या/मोबाइल नं०		
5	ई-मेल (यदि हो)		
6	आधार नं०/ पैन नं० (यदि हो) (किसी फोटोयुक्त वैधानिक पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाएँ)		
7	जन्म तिथि		
8	शैक्षणिक योग्यता		
9	विवाहित/ अविवाहित :	10. पुरुष / महिला/ अन्य	
11	संतान की संख्या :	लड़का :	लड़की :
12	जाति सामान्य/ पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/ अति पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति		
13	पेशा		
14	सभी श्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय (समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में)		
15	किस विषय (कला/ संस्कृति/ समाजसेवा आदि) में विशेष रुचि रखते हैं		
16	वर्तमान में किस सहकारी समिति के सदस्य एवं डेलीगेट हैं		
17	क्या पूर्व में किसी स्थानीय निकाय (पंचायत या नगरपालिका आदि) के सदस्य रहे हैं? अगर हाँ, तो पद एवं अवधि का उल्लेख करें।		
18	क्या पूर्व में किसी सहकारी समिति/ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष/ निदेशक आदि रहे हैं? अगर हाँ, तो पद सहित अवधि का उल्लेख करें।		

.....समिति का निर्वाचन

प्रपत्र-ग

मतदाता होने की घोषणा

मैं.....पिता/पति.....उम्र.....वर्ष, थाना.....

जिला.....बिहार का निवासी हूँ, घोषणा करता/करती हूँ :-

कि मेरा नाम (समिति का नाम) के प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु
प्रकाशित मतदाता सूची के क्रमांक पर दर्ज है।

कि मेरा मोबाइल नं0..... एवं आधार कार्ड नं0..... है।

स्थान-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक-

प्रपत्र-घ**अनुसूची-1**

नामांकन पत्र की संवीक्षा हेतु चेक-लिस्ट

(यह कोटिवार एवं पदवार तैयार की जायेगी)

क्रमांक	विषय	(√ या X) लगायें
1	2	3
1	क्या नामांकन पत्र प्रपत्र-ई 2 में दाखिल किया गया है?	
2	क्या अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उप्र, पता मोबाइल नं0, ई-मेल/आधार नं0 अंकित किया गया है?	
3	क्या नामांकन प्रपत्र ई० 2 में अभ्यर्थी द्वारा उस पद का नाम अंकित किया गया है, जिस पद के लिए वे अभ्यर्थी है ?	
4	क्या प्रपत्र ई० 2 में समिति का निर्बंधित नाम अंकित किया गया है, जिसमें निर्वाचन के वे अभ्यर्थी है ?	
5	क्या अभ्यर्थी का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गई है।	
6	*क्या अभ्यर्थी उसी ग्रूप से है जिस ग्रूप के पद के लिये वह निर्वाचन लड़ रहा है?	
7	क्या प्रस्तावक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
8	क्या प्रस्तावक का हस्ताक्षर है? (i) क्या प्रस्तावक द्वारा अपने आधार कार्ड अथवा फोटोयुक्त किसी वैधानिक पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाई गई है ?	
9	क्या समर्थक का मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में अंकित की गयी है?	
10	क्या समर्थक का हस्ताक्षर है? (i) क्या समर्थक द्वारा अपने आधार कार्ड या किसी फोटोयुक्त वैधानिक पहचान पत्र की छायाप्रति लगाई गई है ?	
11	*क्या प्रस्तावक/ समर्थक उसी ग्रूप से है जिस ग्रूप के अभ्यर्थी है?	
12	क्या नामांकन पत्र के अन्त में अभ्यर्थी की घोषणा अंकित है तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया है और तिथि भी अंकित किया गया है?	
13	प्रपत्र-ग में मतदाता होने से संबंधित घोषणा पत्र दाखिल किया गया है?	
14	क्या प्रपत्र-'क' में शपथ पत्र पर वांछित सूचनाएं दी गई हैं तथा क्या उसपर अभ्यर्थी एवं गवाह का हस्ताक्षर अंकित है?	
15	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I) के लिए आरक्षित पदों के लिए जाति प्रमाण-पत्र मूल में दाखिल किया गया है?	

क्रमांक	विषय	(√ या X) लगायें
16	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-II)/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-I)/ महिला के लिए आरक्षित पदों के लिए संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	
17	क्या प्राधिकार द्वारा विहित नामांकन शुल्क जमा कराये जाने की रसीद संलग्न है। (प्रथम सेट में मूल रसीद और द्वितीय सेट में स्वअभिप्राणित छायाप्रति दिया जा सकता है।)	
18	अगर नामांकन शुल्क रियायती दर पर दिया गया है तो क्या जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है? (महिला छोड़कर)	
19	*क्या प्रोफेशनल डायरेक्टर पद के उम्मीदवार द्वारा वांछित योग्यता का साक्ष्य संलग्न किया गया है ?	
20	*अगर अभ्यर्थी प्रोफेशनल डायरेक्टर पद के लिये निर्वाचन लड़ रहा है तो क्या उसने कम-से-कम पाँच साल के कार्य अनुभव का सबूत पेश किया है।	
21	*क्या वर्ग-I के अभ्यर्थी द्वारा बिहार राज्य प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-8 एवं 9 के अधीन प्राधिकार के आदेश पत्रांक 9758 दिनांक 03.11.2012 द्वारा दिये गये अनुदेश के आलोक में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन के परिणाम के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित कर दिये जाने से संबंधित प्राप्ति रसीद/ लेखा 15 दिनों की अवधि के बीत जाने के बाद जमा किये जाने पर प्राधिकार के पत्रांक 10055 दिनांक 19.12.2012 द्वारा दिये गये अनुदेश के आलोक में प्राधिकार को सम्बोधित स्पष्टीकरण सहित प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है?	
22	क्या अभ्यर्थी बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2008 की धारा 44 खं च के किसी अयोग्यता के अधीन है?	
23	क्या अभ्यर्थी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 9 के अधीन निर्वाचन व्यय संबंधित लेखा नहीं प्रस्तुत करने के कारण राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है?	
24	क्या प्रपत्र-'ख' में अभ्यर्थी के बारे में आवश्यक विवरणी दाखिल की गयी है?	
25	क्या अभ्यर्थी द्वारा विहित अवधि में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	
26	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया है?	

उप निर्वाचन पदाधिकारी/ निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू न हों, उसे काट दें।